इंग्लैंड में, वसंत २०२० से अंगदान का कानून बदल रहा है

यह पत्रक आपको आपके विकल्प बताता है

अंग और ऊतक दान क्या है?

अंग और ऊतक दान का मतलब है की आपके मरने के बाद आपके अंगों को और/या ऊतकों को दूसरों का जीवन बचाने या बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दान देना है।

एक अंगदाता ज्यादा से ज्यादा नौ लोगो का जीवन बचा सकता है, बदल सकता है। ऊतक प्रत्यारोपण भी किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकता हैं। यह किसी को फिर से देखने में मदद करने के लिए कॉर्निया हो सकता है, हृदय की क्षति में सुधार करने के लिए एवजी हृदय वाल्व, या गंभीर जले हुए घावों के लिए त्वचा भी हो सकते है।

अंगदान के कानून क्यों बदल रहे है?

एक अंग की ज़रूरत कि वजह से पूरे UK में हर दिन लगभग तीन लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त अंग उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन केवल 1% लोग ऐसी परिस्थितियों में मर जाते हैं जो उन्हें दान करने की अनुमति देते हैं।

ज्यादातर लोग सैद्धांतिक रूप से अंग दान का समर्थन करते हैं और अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान करने के लिए तैयार होते है। हालांकि, बहुत से लोग इस निर्णय को NHS अंग दाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कर के या तो अपने परिवार को बताके स्पष्ट नहीं करते हैं। कानून में बदलाव बेहतर तरीके से दर्शाता है कि अधिकांश लोग क्या चाहते हैं और अधिक लोगों के जीवन को बचाने और बेहतर बनाने में मदद करता है।

क्या बदल रहा है?

वसंत २०२० से, इंग्लैंड में सभी वयस्क मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दाता बनने के लिए सहमत है यह मान लिया जाएगा, यदि उन्होंने दान नहीं करने का निर्णय दर्ज नहीं किया था या वे वर्जित समूहों में से एक में नहीं थे

इसका मतलब है कि यदि आपने पुष्टि नहीं की है कि आप अंगदाता बनना चाहते हैं या नहीं- चाहे NHS अंग दाता रजिस्टर पर निर्णय दर्ज कर के या दोस्तों या परिवार से बात कर के - तो यह माना जाएगा कि आप आपके मरने पर अपने अंगों को दान करने के लिए सहमत हैं।

अंगदान महान उदारता का कार्य है। अंग दाता होने या न होने का चयन करने का अधिकार अभी भी आपके पास है। आपकी मृत्यु के पश्चात आपके अंगों को दान करने के बारे में आपके परिवार से बात की जाएगी।

अंगदान का कानून कब बदल रहा है?

इंग्लैंड में 'ऑप्ट आउट' प्रणाली वसंत २०२० से लागू होगी।

तब तक, यदि आपकी ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती हैं जहां आप फिर भी दान करने में सक्षम हो सकते हैं, तो विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मचारी यह देखने के लिए NHS अंग दाता रजिस्टर की जांच करते रहेंगे कि क्या आपने दाता होने का निर्णय दर्ज किया है ? यदी आपने दाता होने का निर्णय दर्ज किया है, तो आपके परिवार को आपका निर्णय मानने को कहा जाएगा। यदि आपने दाता के रूप में नाम दर्ज नहीं किया है, तो आपके परिवार को आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा।

एक बार ये कानून लागू होने के बाद, यह माना जाएगा कि आप अंग दाता बनने के लिए सहमत हैं, अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है और:

- आपने 'ऑप्ट आउट' प्रणाली में दर्ज न किया हो, या
- आप एक बहिष्कृत समूह में नहीं हैं

आपके परिवार को फिर भी शामिल किया जाएगा।

इस परिवर्तन से कौन प्रभावित होगा?

ये नया कानून इंग्लैंड में बसते वयस्क, जिनकी मृत्यु भी इंग्लैंड में होती है, उनके लिए लागू होगा।

यह निम्न को लागू नहिं होगा:

- 18 से कम उम्र के लोग
- जिन लोगों में नई व्यवस्था को समझने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मानसिक क्षमता की कमी है
- जो लोग अपनी मृत्यु से पहले इंग्लैंड में 12 महीने से कम समय के लिए रहे हैं
- जो लोग अपनी स्वेच्छा से यहां नहीं रह रहे हैं

मुझे क्या करना होगा?

जब की इंग्लैंड में वसंत २०२० से अंग दान का कानून बदल रहा है, हम चाहते हैं कि हर कोई यह तय करे कि वे अंग दाता बनना चाहते हैं या नहीं और अपने परिवार के साथ अपने फैसले को साझा करे।

यदि आप अंग दाता बनना चाहते हैं, तो आप NHS अंग दाता रजिस्टर पर दाता बनने के लिए नाम दर्ज कर सकते हैं।

यदि आप अंग दाता नहीं बनना चाहते हैं, तो आप NHS अंग दाता रजिस्टर पर 'दान करने से इन्कार' दर्ज करके इससे बाहर हो सकते है।

यदि आपने NHS अंग दाता रजिस्टर पर अपना निर्णय पहले ही दर्ज कर लिया है और आपका निर्णय वही रहता है, तो आपको अपने परिवार को बताना चाहिए कि आप क्या चाहते है।

यदि आपने पहले ही नाम दर्ज करा लिया, लेकिन अपने दर्ज किए गए निर्णय को बदलना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय आसानी से ओनलाइन 'अपना विवरण संशोधित करे' फार्म पूर्ण करके ऐसा कर सकते हैं।

NHS अंग दाता रजिस्टर क्या है?

NHS अंग दाता रजिस्टर एक सुरक्षित डेटाबेस है जो उन सभी का विवरण रखता है जिन्होंने अंग दान के बारे में निर्णय दर्ज कराया है। यह दर्ज करता है कि कोई अंग और ऊतक दाता बनना चाहता है या नहीं। जो लोग दान करना चाहते हैं, उनके लिए यह दर्ज करता है कि वे किन अंगों और ऊतकों को दान करना चाहते हैं। रजिस्टर की प्रविष्टि केवल विशेषज्ञ NHS कर्मचारियों को होती है।

NHS अंग दाता रजिस्टर पर अपने निर्णय को दर्ज करना और अपने परिवार को बताना कि आप क्या चाहते हैं, यह आपके निर्णय को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका हैं।

याद रखें, यदि आपकी मृत्यु के समय आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, आप एक बहिष्कृत समूह में नहीं हैं, और बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना हैं, तो यह माना जाएगा कि आप अंग और ऊतक दाता होने के लिए सहमत हैं।

आप जो भी चुनते हैं, अपने परिवार को बताना महत्वपूर्ण है ताकि वे आपके निर्णय का समर्थन कर सकें। यदि आप भविष्य में अपना निर्णय बदलते हैं तो भी आपको उन्हें बता देना चाहिए।

अपने निर्णय को दर्ज करने के लिए organdonation.nhs.uk कि मुलाकात लें।

क्या मेरे परिवार से वसंत २०२० के बाद भी मेरे अंगों को दान करने के बारे में पूछा जाएगा?

हाँ। अंग और ऊतक दान के विकल्प पर चर्चा करने के लिए एक संभावित दाता के परिवार से हमेशा संपर्क किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि NHS अंगदाता रजिस्टर पर दर्ज किया गया कोई भी निर्णय आपका नवीनतम ज्ञात निर्णय है। एक विशेषज्ञ नर्स इसके समर्थन को सुनिश्चित करने में मदद के लिए परिवार के संपर्क में रहेगी।

आपका परिवार हमें बता सकता है कि आपके विश्वास या आस्था के अनुरूप अंग दान हो रहा है, और आपके किसी विशेष अनुरोध या आवश्यकताओं के बारे सुनिश्चित करने में मदद के लिए भी।

आपका परिवार आपकी चिकित्सा, यात्रा और सामाजिक इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी यह जांचने में मदद करती है कि आपके अंगों को सुरक्षित रूप से किसी और को दिया जा सके।

अपने विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें

हमारी वेबसाइट पर अंग और ऊतक दान के बारे में बहुत सारी अधिक उपयोगी जानकारी है:

organdonation.nhs.uk और सोशल मीडिया पर **@NHSOrganDonor**

जब आपने अपना निर्णय कर लिया हो, तो इसे NHS अंग दाता रजिस्टर पर दर्ज करना और अपने परिवार को अपनी पसंद के बारे में बताना महत्वपूर्ण है।

यदि आपको वेबसाइट पर आप जो चाहते है वह जानकारी नहीं मिल रही है या अभी भी आपका निर्णय अनिश्चित है, तो आप हमारी समर्पित हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं:
०३०० ३०३ २०९४

यदि आपको सुनने में कठिनाइ हैं तो कृपया हमारे टेक्स्ट रिले सेवा का उपयोग करें:
१८००१ ०८४५ ७३० ०१०६

टेक्स्ट चैट का उपयोग करने के लिए कृपया SMS करें:
०७८६० ०३४ ३४३

१ मई २०१९ से, NHS ऐप तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति NHS अंगदाता रजिस्टर पर अपना निर्णय दर्ज करने के लिए इसका उपयोग करने में भी सक्षम होगा।

आप NHS ऐप को App Store या Google Play से डाउनलोड कर सकते हैं।

रोहित सिर्फ ५५ की आयु में हृदय का दौरा पड़ने के बाद चल बसे. उनके गुर्दे, हृदय के वाल्व और कोर्नेया दान कर दिए गए और आगे जा कर दूसरों को मदद आए।